छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 98/2005

ऋतुपर्ण नामदेव, पिता डॉ. भरत नामदेव,
उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 318,

वैष्णव कॉलोनी, सिविल लाइन्स, बलौदा बाजार,

जिला रायपुर (छ.ग.)

–याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा
1 सचिव, राजस्व विभाग, डी.के.एस.
भवन, रायपुर छत्तीसगढ़

2 कलेक्टर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 अनुविभागीय दंडाधिकारी, बलौदा बाजार ,जिला रायपुर छत्तीसगढ़

4 तहसीलदार, बलौदा बाजार, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

–उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 98/2005

ऋतुपर्ण नामदेव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु 15 मार्च 2005 को सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
एल.सी. भादू
न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
रिट याचिका क्रमांक 98/2005

ऋतुपर्ण नामदेव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

कुमारी पृथा घोषाल, अधिवक्ता: याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री पी.एस. कोशी,उप महाधिवक्ता ,राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से

आदेश

(15 मार्च, 2005 को पारित)

एल.सी भादू, न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, याचिकाकर्ता ने तहसीलदार, बलौदा बाजार, जिला: रायपुर द्वारा दिनांक 27.11.2004 को पारित आदेश की वैधता, शुद्धता और औचित्यता को प्रश्नगत किया है। उक्त आदेश द्वारा तहसीलदार ने याचिकाकर्ता की अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु दायर आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता के पिता की आय 3 लाख रुपये से अधिक है, अतः याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है।

2. इस रिट याचिका को दायर करने की संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम में अध्ययन प्रारंभ किया है और वह बलौदा बाजार, जिला: रायपुर का स्थायी निवासी है। याचिकाकर्ता के पिता डॉ. भरत नामदेव उत्तर प्रदेश राज्य के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक (प्रथम श्रेणी अधिकारी) के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ता के पिता नामदेव जाति से हैं, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। याचिकाकर्ता का आगे प्रकरण यह है कि– उसने वर्ष 2004 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भाग लिया और उसे उत्तीर्ण किया, इसके पश्चात वह मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ और इसका परिणाम फरवरी, 2005 या मार्च, 2005 में घोषित होने की संभावना है। याचिकाकर्ता नामदेव (दर्जी) जाति से संबंधित है, जो पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आती है। तदनुसार, याचिकाकर्ता के चाचा ने अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया। हालांकि, तहसीलदार ने मौखिक रूप से प्रमाण

पत्र जारी करने से इंकार कर दिया, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता का परिवार क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ता के चाचा ने उत्तरवादी संख्या 4 से संपर्क किया, जिन्होंने उत्तर दिया कि वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सुसंगत परिपत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंततः, याचिकाकर्ता के चाचा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर अधीनस्थ अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। कलेक्टर के निर्देश पर जब याचिकाकर्ता के चाचा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुए, तब तहसीलदार ने कहा कि याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता डॉ. भरत नामदेव की आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है। हालांकि, तहसीलदार का यह मत केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 09–03–2004 (अनुलग्नक पी –5) के दृष्टिकोण से गलत है। संघ लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दिनांक 03–11–2004 के माध्यम से याचिकाकर्ता को 23–11–2004 तक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 4374/2004 दायर की और न्यायालय ने तहसीलदार को याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। अंततः, तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से आवेदन निरस्त कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता का आगे प्रकरण निम्नलिखित है कि तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 1999 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। यद्यपि याचिकाकर्ता के पिता एक चिकित्सक (प्रथम श्रेणी अधिकारी) हैं, लेकिन उनकी प्रारंभिक नियुक्ति द्वितीय श्रेणी अधिकारी के रूप में हुई थी और 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। अतः दिशा–निर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता। उपरोक्त दिशा–निर्देशों से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की आय का निर्धारण करने के लिए, यह तय करने कि वह क्रीमी लेयर में आता है या नहीं, वेतन या कृषि से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश स्वेच्छाचारी है और इसे रद्द किए जाने योग्य है।

4. राज्य/प्रतिवादियों की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिता की वेतन/आय 3 लाख रुपये से अधिक है, अतः 1999 के दिशा–निर्देशों अनुलग्नक पी –10) के खंड 6 के दृष्टिकोण से याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है और वह अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं है। यह आपत्ति भी उठाई गई है कि याचिकाकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करनी चाहिए थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। चूंकि जवाब पहले ही दाखिल हो चुका है, अतः इस याचिका को सुनवाई स्वीकार किए जाने के प्रारंभिक स्तर पर ही निराकृत करने का निर्णय लिया गया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिशा–निर्देशों (अनुलग्नक पी –10) के खंड 6 से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की आय का आकलन करते समय यह तय करने के लिए कि उसकी आय उक्त परिपत्र की सीमा से अधिक है या नहीं, वेतन या कृषि से प्राप्त आय को विचार में नहीं लिया जा सकता। अतः तहसीलदार का निर्णय गलत है।

7. दूसरी ओर, विद्वान उप महाधिवक्ता ने पुरजोर रूप से तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता का वेतन 3 लाख रुपये से अधिक, अर्थात 2 लाख रुपये से अधिक है, अतः वह क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है। खंड 6 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, केवल कृषि आय को वेतन में शामिल नहीं किया जा सकता ताकि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय का निर्धारण किया जा सके। चूंकि याचिकाकर्ता के पिता की आय वेतन के रूप में 3 लाख रुपये से अधिक है, अतः उनकी आय निर्धारित सीमा से अधिक है, और इस प्रकार, याचिकाकर्ता क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है। तहसीलदार ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय और याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करते समय यही दृष्टिकोण अपनाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. जहां तक वैकल्पिक उपाय का प्रश्न है, यह सत्य है कि याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता था, किंतु यह स्थापित विधि है कि वैकल्पिक उपाय विवेक का नियम है, न कि अनिवार्यता का। इस दृष्टिकोण के लिए, मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (2003) 2 SCC 107 (हरबंशलाल साहनी और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य) का अवलंब लेता हूं। उपरोक्त निर्णय के दृष्टिकोण से, चूंकि तहसीलदार का आदेश केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से स्पष्ट रूप से विपरीत है, अतः मेरा सुविचारित मत है कि यह रिट याचिका पोषणीय है।

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सराहना करने के लिए, यदि हम तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 30 जुलाई, 1999 को जारी दिशा–निर्देशों (अनुलग्नक पी–10) को देखें, जो केंद्र सरकार द्वारा 8 सितंबर, 1993 को जारी अधिसूचना संख्या 36012/22/93/(एस.सी.टी) पर आधारित हैं, जिसमें क्रीमी लेयर की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। श्रेणी संख्या 1 में संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, जैसे राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के

अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और समकक्ष संवैधानिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को शामिल किया गया है। श्रेणी संख्या 2 में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो प्रथम श्रेणी के पदों पर नियुक्त हुए हैं या जिन्हें 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया है, उन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी में घोषित किया गया है। इस प्रकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों या केंद्र और राज्य सरकार के उन अधिकारियों के पुत्र–पुत्रियां, जिन्हें 40 वर्ष की आयु से पहले प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया है, आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते और उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत घोषित किया गया है। तीसरी श्रेणी में, सेना, नौसेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों में कर्नल और उससे ऊपर या समकक्ष पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को क्रीमी लेयर की श्रेणी में घोषित किया गया है। श्रेणी 4 और 6 के तहत, व्यवसाय, व्यापार और उद्योग या पेशे में संलग्न उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनकी सकल आय पिछले तीन लगातार वर्षों में 1 लाख रुपये (अब 2 लाख रुपये) से अधिक है और जिनके पास 15 लाख रुपये की छूट सीमा से अधिक संपत्ति है, जिसमें एक मकान संपत्ति किसी भी मूल्य की और वाणिज्यिक और कृषि कर निर्धारित संपत्ति शामिल है, उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, खंड 6 में एक स्पष्टीकरण नोट जोड़ा गया है, जो यह प्रावधान करता है कि आय के बिंदु को तय करने के लिए वेतन या कृषि से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अतः, जहां तक शासकीय कर्मचारियों का संबंध है, यह तय करने के लिए कि वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या नहीं, परिपत्र में शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित मापदंड खंड 1, 2, 3 और 5–क में उल्लिखित हैं, अर्थात उपरोक्त श्रेणियों के व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत माने जाएंगे। इस प्रकार, सेवा वर्ग के लोगों के लिए, क्रीमी लेयर का मापदंड उनकी रैंक और पद के आधार पर निर्धारित किया गया है, न कि उनके वेतन से प्राप्त आय के आधार पर, अर्थात वेतन की परवाह किए बिना, जो व्यक्ति अपनी रैंक के आधार पर श्रेणी में आते हैं, उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत घोषित किया गया है। जबकि खंड 6 के तहत, यदि किसी व्यक्ति की आय व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, पेशे, ब्याज, लाभांश और संपत्ति से 2 लाख रुपये से अधिक है, तो वे क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। चूंकि सेवा वर्ग के व्यक्तियों के लिए मापदंड उनके पद और रैंक के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, और वेतन को ध्यान में नहीं लिया गया है | इसके अतिरिक्त, खंड 6 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण संख्या 1 यह कहता है कि यह तय करने के लिए कि कोई व्यक्ति आय और संपत्ति के आधार पर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है या नहीं, उस व्यक्ति की वेतन या कृषि से प्राप्त आय को अन्य आय के साथ शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके आधार पर यह विचार किया जा रहा है कि वह व्यक्ति क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है या

नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति शासकीय सेवक या निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक, बीमा, विश्वविद्यालय में सेवक है, और उसके पास कृषि आय भी है और इसके अलावा अन्य स्रोतों से आय भी है, तो अन्य स्रोतों से आय पर विचार करते समय यह तय करने के लिए कि वह व्यक्ति क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है या नहीं, उसके वेतन या कृषि से प्राप्त आय को अन्य स्रोतों की आय के साथ शामिल नहीं किया जाएगा।

11. अतः, मेरा मत है कि आक्षेपित आदेश पूर्णतः मनमाना, अवैध और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र सास्किया द्वारा जारी अधिसूचना और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता के पिता खंड 1, 2, 3 और 5–क में से किसी भी खंड के अंतर्गत क्रीमी लेयर में नहीं आते, और उनकी कोई अन्य स्रोत से आय नहीं है जो उन्हें श्रेणी 6 में लाए, उनका एकमात्र आय वेतन है और उनके अनुसार, न तो उनकी प्रारंभिक नियुक्ति प्रथम श्रेणी अधिकारी के रूप में हुई थी और न ही उन्हें 40 वर्ष की आयु से पहले प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत किया गया था, अतः यह निर्णय रद्द किए जाने योग्य है, और इसे तदनुसार रद्द किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन पर तत्काल विचार करे। मामले की परिस्थितियों में, वाद व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

एल.सी. भादू

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया
जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ...APEKSHA JAISWAL...

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur